रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 1973/माघ 14, 1894

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1973/MAGHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1973

सा. का. नि. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—इन नियमों का नाम प्रवर्तन निदेशालय (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1973

शुद्धि पत्र

सा. का. नि. 101.—25 नवम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या 5/39/70-टी. वी. के वर्तमान पैरा 1(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"1(1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1972 कहा जाएगा।"

[सं. 5/39/70-टी. वी.]

आर. के. गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 3rd January, 1973.

CORRIGENDUM

G.S.R. 101.—For the existing para 1 (i) of Notification No. 5/39/70-TV dated 25th November, 1972 the following may be substituted:—

"1. (i) These rules may be called the All India Radio (Class I posts) Recruitment (Sixth Amendment) Rules, 1972".

[No. 5/39/70-TV]

R. K. GUPTA, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

पत्तन

सा. का. नि. 102.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम, की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में स्तंभ 1, में "पारादीप" के पत्तन के सामने, स्तंभ 2 में "(क) विदेशी जलयानों" प्रविष्टि के सामने स्तंभ 3 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"75 पैसे प्रति टन से अधिक"।

[सं. 11-पी जी ए(5)/72-1]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 19th January, 1973

PORTS

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In Part I of the First Schedule to the said Act, against the port of "Paradip" in column 1, against the entry "(*a*) *foreign vessels*" in column 2, for the existing entry in column 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"Not exceeding 75 paise per ton".

[No. 11-PGA(5)/72-I]

सा. का. नि. 103.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः दिन समाप्त होने के अगले दिन से भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और विमानन मंत्रालय, परिवहन, नौवहन और पर्यटन विभाग (परिवहन स्कंध) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 617, तारीख 18 अप्रैल, 1966 की अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पत्तन-देय की दर उन जलयानों की बाबत, जो आन्तरिक व्यापार जलयान नहीं हैं, जो भारत में किसी पत्तन या स्थान और किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच में या भारत से बाहर पत्तनों या स्थानों के बीच में व्यापार में लगे हैं, 60 प्रतिशत के अधिभार के अध्यधीन होंगे।

[सं. 2-पी जी ए(5)/72-2]

श्रीमती बी. निर्मल, अवर सचिव

G.S.R. 103.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby directs that, with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the rate of port dues as specified in the Schedule to the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Aviation, Department of Transport, Shipping and Tourism (Transport Wing), No. GSR-617 dated the 18th April, 1966 shall be subject to a surcharge of 60 per cent in respect of vessels not being home trade vessels, employed in trading between any port or place in India and any other port or place or between ports or places outside India.

[No. 11-PGA(5)/72-II]

Mrs. B. NIRMAL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI, AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973